

7.7.2017

अभिलेख उपस्थापित किया गया।
उभय पक्ष आज भी अनुपस्थित हैं।
अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है,
कि उभय पक्ष विगत कई तिथि से लगातार
अनुपस्थित रह रहे हैं। दिनांक - 13.6.2017
को पारित आदेश में उभय पक्ष को
आज की तिथि में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत
करने हेतु आदेश पारित है, जिसे उभय पक्ष
के विश्व अधिवक्ता को Seen भी कराया
जा चुका है। इसके बावजूद भी उभय पक्ष
अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि
उभय पक्ष को इस वाद के प्रति अभिरुचि
नहीं रह गई है। फलतः उपरोक्त वर्णित
परिपेक्ष्य में इस वाद की कार्रवाई समाप्त
की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त - सह - जिला
दण्डाधिकारी, गढ़वा।


उपायुक्त - सह -
जिला दण्डाधिकारी जिला